


# HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt No. : C/4604  
11-15-41/87 -II

Jabalpur, Dt. 16.....Nov, 2017

Copy forwarded to :-

1. The Principal Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Benches at Indore and Gwalior.
2. Principal Registrar / Registrar \_\_\_\_\_,  
High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
3. District and Sessions Judge, \_\_\_\_\_, (All in the State of M. P.).

  
(SANAT KUMAR KASHYAP)  
Registrar (DE)



मध्यप्रदेश शासन  
स्वाध, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक : 03 अगस्त, 2017  
क्रमांक एफ 5-10/2011/29-2, राज्य शासन एतद् द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित का उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रति रोषण फोरम में उनके पदमार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उससे से जो भी पूर्वतर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता है -

क्र.	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पद की श्रेणी
1	2	3	4
1	श्री संजय कुमार पाण्डेय, पुत्र स्व. श्री चन्द्रकांत पाण्डेय, ग्राम कटक ना, पो. लालपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश।	शहडोल	अनारक्षित
2	श्रीमती शांती कटार पत्नि श्री संजय कटार, काशीनाथ कटार चौक पुरानी सब्जी मंडी, शहडोल मध्यप्रदेश।	शहडोल	आरक्षित (महिला)
3	श्री संजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री अंजनी कुमार शर्मा, कृष्णा निकेशन, नजरबाग, छतरपुर मध्यप्रदेश।	छतरपुर	अनारक्षित
4	श्री दिनेश शर्मा, पुत्र श्री एल.एल. शर्मा, 5 प्रोफेसर्स कॉलोनी, होशंगाबाद मध्यप्रदेश।	होशंगाबाद	अनारक्षित
5	श्रीमती संगीता जासोली, पत्नि श्री राजेन्द्र जासोली, 10, जासोली भवन, दशहरा मैदान, नामच मध्यप्रदेश।	नामच	आरक्षित (महिला)
6	श्री रमाकांत दीक्षित, पुत्र श्री शारदा प्रसाद दीक्षित, शारदा सदन, त्रिमूर्ति नगर, मदर मंदिर, शंकराचार्य वाडें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश।	नरसिंहपुर	अनारक्षित
7	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, पुत्र श्री भगवान सिंह राजपूत, महामाया वाडें भैरोगंज, सिवनी मध्यप्रदेश।	सिवनी	अनारक्षित
8	श्रीमती संगीता भंडावत, पत्नि श्री शरद भंडावत, 49, अट्ट महल्ला, शाजापुर मध्यप्रदेश।	शाजापुर	आरक्षित (महिला)
9	डॉ. श्रीमती सीमा नेगी, पत्नि श्री जितेंद्र नेगी, वृन्दावन कॉलोनी, महेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश	खरगोन (मण्डलेश्वर)	आरक्षित (महिला)
10	श्रीमती निधि बारगे, पत्नि श्री रामरतन बारगे, 41, संचार कॉलोनी, वाडें नं. 40 सात्या टोपे वाडें छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश।	छिंदवाड़ा	आरक्षित (महिला)
11	श्री शिव नागयण खरे पुत्र स्व. श्री मूलचंद खरे, 405 अपीत अपार्टमेंट नागरथ चौक, जबलपुर मध्यप्रदेश।	जबलपुर क्रमांक-1	अनारक्षित
12	श्री योमेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय रामलखन अग्रवाल, 404, रायल डिलाईट अपार्टमेंट्स सिविल लाइन जबलपुर मध्यप्रदेश।	जबलपुर क्रमांक-2	अनारक्षित
13	कुमारी अर्चना शुक्ला पुत्री श्री एच.जी. शुक्ला, बी-103 रायल अपार्टमेंट्स सदा महल जबलपुर मध्यप्रदेश।	जबलपुर क्रमांक-2	आरक्षित (महिला)

05 SEP 2017  
REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR

SO, Record Room  
(Admin)


CR  
48796

S.O (A)

2- उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी--

- 2.1 कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूरा न्ह 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे।
  - 2.2 बिना उपायुक्त कारण एवं पूर्ण प्रस्ताव के फोरम की कार्य से तन्यमान अधिकार अनुपूर्णाधिकार रहने पर पद से हटाया जा सकेगा।
  - 2.3 केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
  - 2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित म. उदय एवं भत्ते का भुगतान होगा।
  - 2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- 3- संबंधित जिले के अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त सदस्य के चरित्र सत्यापन के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(बी.के. चन्देल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं


उपभोक्ता संरक्षण विभाग

भोपाल, दिनांक: 21 अगस्त, 2017

पृ. क्रमांक एफ 5-10/2011/29-2

संक्षेपित :- सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, मानव संसाधन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर, जिला शाहdol, छतरपुर, हंसगाबाद, नीमच, नरसिंहपुर, सिवनी, शाजापुर, खरगोन, छिन्दवाड़ा एवं जबलपुर मध्यप्रदेश।
5. सजेस्टार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रातिदोषण आयोग अररा विस्त भोपाल।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम जिला शाहdol, छतरपुर, हंसगाबाद, नीमच, नरसिंहपुर, सिवनी, शाजापुर, खरगोन, छिन्दवाड़ा एवं जबलपुर मध्यप्रदेश।
7. सर्वसंबंधित।
8. नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल : मध्यप्रदेश की आधिकारिक सूचना की प्रति सलख है। कृपया आधिकारिक सूचना के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं

उपभोक्ता संरक्षण विभाग